RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

POLITY

संविधान के स्रोत



LIVE STREAMING 15-07-2024 11:00 AM

हम भारत के लोग
संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
समाजवादी
पंथनिरपेक्ष
लोकतांत्रिक
गणराज्य

3 न्याय
5 स्वतंत्रता (Liberty)
2 प्रकार समानता

मूल संविधान →	Present
Arts → 395	470+
Parts → 22 →	25
Schedules → 8 →	12

→ भारत एकता, बंधुता और अखण्डता को बनाये रखना है।
(Unity) (Fraternity) and Integrity

→ जिससे कोई तोड़ न सके।

→ शब्द को 42 CA 1976 द्वारा जोड़ा गया।

⇒ 3 प्रकार न्याय के रूप से लिये गये हैं।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
Socialist, economic, Political justice taken from Russia.

⇒ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिये गये हैं।
↳ 1789
Libert, equality and fraternity taken from French Revolution (1789 AD)

⇒ विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र > USA
first secular country in the world

⇒ भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा (संविधान सभा के माध्यम से) अंगीकृत (Adopt) किया गया।
↳ 26 Nov. 1949

अंगीकृत / अधिनियमित
आत्मार्पित / स्वीकार

⇒ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों (objectives) और आदर्शों (ideals) की व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों (Fundamental Rights), राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principle of state Policies) एवं मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) के अध्याय में है। ↳DPSP

भारतीय संविधान के स्रोत Sources of the Indian Constitution

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी,

At the time of drafting the Constitution, the Constituent Assembly studied the constitutions of about 60 countries and adopted their good points which were suitable to Indian conditions.

नि:संकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है-

It was accepted without hesitation. However, the Government of India Act 1935 has had the greatest influence on the Indian Constitution. Some of the major provisions adopted from other countries in the Indian Constitution are as follows-

60 Countries => 10 देशों के संविधान से ग्रहण।

Act of 1935 => सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है।

ब्रिटिश संविधान से From British Constitution

- संसदीय शासन पद्धति/Parliamentary system of government
- द्विसदनीय व्यवस्था/Bicameral system ⇒ जहा दो सदन होते हैं।

विधानसभा → २८ राज्य
विधानपरिषद → ६ राज्य → U.P, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलगाना। → महाराष्ट्र, कर्नाटक
House

→ राज्य - विधानमंडल (Legislature) → (6) राज्य संसद < LS / RS

- लोक सभा के प्रति मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु.-75 (3))*

Collective responsibility of the Ministers to the House of the People (Article 75(3))*

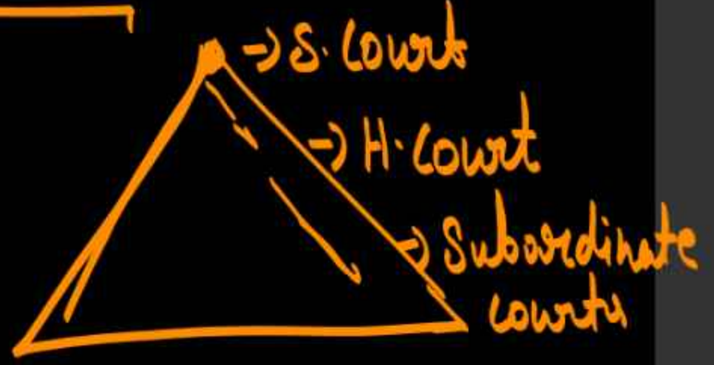
→ Loksabha

- राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होना*

Formal supremacy of the President as the head of the nation and real powers vested in the Council of Ministers*

↳ Head प्रधान ⇒ PM

- एकल न्यायिक प्रणाली/Single judicial system
- विधि-निर्माण की प्रक्रिया/Law-making process
- 'विधि का शासन'/'Rule of law'
- एकल नागरिकता*/Single citizenship *



- विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ

Privileges and immunities of members of the legislature

- विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका

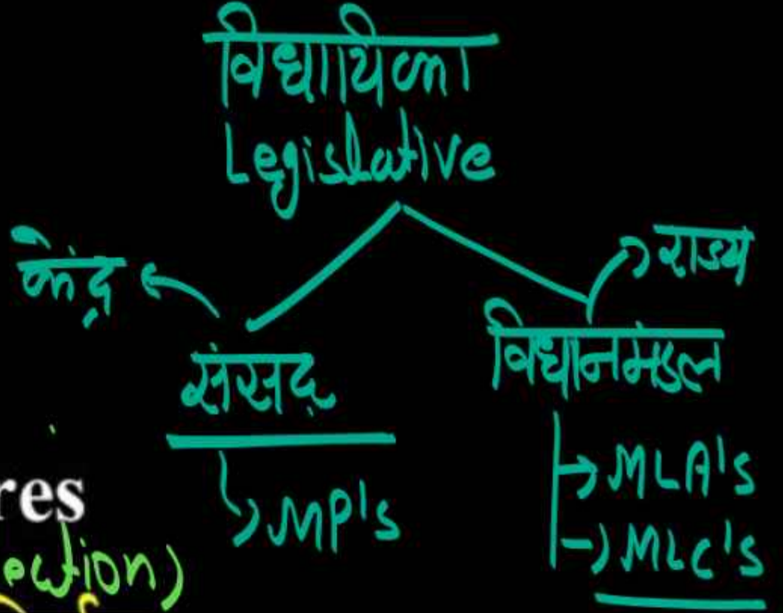
Role of the Speaker in the legislature

- संसद एवं विधानमण्डलों की प्रक्रिया

Procedures of Parliament and Legislatures

- सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय

Decision on the victory of election on the basis of most votes



प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election)

प्रणाली (system) => अर्थात् ही विजेता

just past the post system

आयरलैण्ड के संविधान (1937) से From the Constitution of Ireland (1937)

- राज्य के नीति निदेशक तत्व* Directive Principles of State Policy*
- साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्य सभा में कुल (12) सदस्यों का मनोनयन* → (RS) ⇒ 12 सदस्य मनोनीत ⇒ राष्ट्रपति

Nomination of total (12) members in Rajya Sabha on the basis of contribution in literature, art, science, social service *

- राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल एवं पद्धति → राष्ट्रपति ⇒ निर्वाचन की पद्धति
 → निर्वाचन ⇒ मतदाता (Voters)

Electoral college and method of the President

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (1789) से

From the Constitution of the United States of America (1789)

- मूल अधिकार/ Fundamental Rights
- उद्देशिका का विचार* (UPPCS : 15)

The idea of the Preamble* (UPPCS : 15)

- राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया *

Procedure of impeachment of the President *

- स्वतंत्र न्यायपालिका* न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त *

Independent Judiciary* Principle of Judicial Review*

- लोकजनहित याचिका/ Public Interest Litigation
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया Procedure for removal of judges of Supreme Court and High Courts from office
- उपराष्ट्रपति का पद/Vice President's post
- वित्तीय आपात/Financial emergency
- संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान Provision for ratification by state legislatures in constitutional amendment

आस्ट्रेलिया के संविधान (1901) से From the Constitution of Australia (1901)

- प्रस्तावना की भाषा * Language of the Preamble *
- समवर्ती सूची (UPPCS :M: 16)

Concurrent List (UPPCS :M: 16)

- केन्द्र राज्य सम्बन्ध * Centre-State Relations *
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

Joint Sitting of Both Houses of Parliament

कनाडा के संविधान से From the Constitution of Canada

- संघीय शासन प्रणाली*/Federal system of government*
- राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना।*

The governor keeps the bill reserved for the President's consideration.*

- सशक्त केन्द्र/Strong centre
- अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त *

 Principle of residuary powers*
- राज्यों में राज्यपाल की केन्द्र द्वारा नियुक्ति

Appointment of governor in states by the centre

- उच्चतम् न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णयन

Advisory adjudication by the Supreme Court

जापान के संविधान से From the Constitution of Japan

- अनु.-21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(According to proce- dure established by law)*

द. अफ्रीका के संविधान से From the Constitution of South Africa

- संविधान की संशोधन पद्धति*

 Method of Amendment of Constitution*

- राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

 Election of Members of Rajya Sabha

सोवियत संघ (रूस) के संविधान से

From the Constitution of Soviet Union (Russia)

- मूल कर्त्तव्य * Fundamental Duties *
- प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श Judicial Ideal in the Preamble

फ्रांस के संविधान (1946) से From the Constitution of France (1946)

- गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली

Republican system of government

- स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धान्त

Principles of liberty, equality and fraternity

जर्मन के वीमर संविधान (1933) से

Emergency provisions from Germany's Weimar

- आपात उपबन्ध* Constitution (1933)*

भारत शासन अधिनियम 1935 से

From the Government of India Act 1935

- लगभग 250 अनु. (उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ)

About 250 articles (in the same form or with some changes)

(संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and Its Territory)

संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार- भारत राज्यों का एक संघ (a Union of States) है।

(Part-1 of the Constitution, Articles 1 to 4 are about the Union and its territories. According to Article 1, India is a Union of States.

अनुच्छेद-2- संसद को संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

Article-2- Empowers Parliament to make laws for the entry or establishment of new states in the Union.

अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है

According to Article-3, Parliament can form a new state and change the area, boundary or name of an existing state by a simple majority.

संसद द्वारा अनुच्छेद-2 अथवा अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु. 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद-4)

A law made by Parliament under Article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the Constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

बेरुबाड़ी मामलें में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में, क्या किसी राज्य या उसके भू-भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है?

In the Berubari case, the question came up for opinion before the Supreme Court whether the power of Parliament to alter the areas and boundaries of States under Article 3 includes the power to cede any State or any part of its territory to a foreign State?

न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा।

The court said that the Parliament cannot do this through ordinary law. For this, a constitutional amendment will have to be made under Article 368.

अतः संसद द्वारा 9वाँ संविधान संशोधन (1960) पारित कर बेरुबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया।

So, the Berubari Union Territory was handed over to Pakistan by passing the 9th Constitutional Amendment (1960) by the Parliament and some Indian territories were handed over to Bangladesh by the 100th Constitutional Amendment Act 2015.


INDIA
States and Union Territories
TAJIKISTAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA (TIBET)
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR (BURMA)
SRI LANKA
LADAKH
Srinagar
Leh
JAMMU & KASHMIR
Jammu
HIMACHAL PRADESH
Shimla
PUNJAB
Chandigarh
Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
New Delhi
UTTAR PRADESH
Lucknow
Jaipur
RAJASTHAN
SIKKIM
Gangtok
ARUNACHAL PRADESH
Itanagar
Dispur
ASSAM
NAGALAND
Kohima
Shillong
MEGHALAYA
Imphal
MANIPUR
Agartala
TRIPURA
Aizawl
MIZORAM
BIHAR
Patna
JHARKHAND
Ranchi
WEST BENGAL
Kolkata
Gandhinagar
GUJARAT
Bhopal
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
Raipur
ODISHA
Bhubaneswar
BAY OF BENGAL
Daman
Silvassa
DAMAN & DIU
DADRA & NAGAR HAVELI
MAHARASHTRA
Mumbai
TELANGANA
Hyderabad
Amaravati
Yanam (Puducherry)
ARABIAN SEA
Panaji
GOA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
Bengaluru
Chennai
Mahe (Puducherry)
PUDUCHERRY
LAKSHADWEEP (INDIA)
Kavaratti
KERALA
TAMIL NADU
Karaikal (Puducherry)
Thiruvananthapuram
Palk Strait
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (INDIA)
Port Blair
International Boundary
State/UT Boundary
Country Capital
State/UT Capital
Map not to Scale
INDIAN OCEAN
Copyright © 2019 www.mapsofworld.com

भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठनReorganization of states on linguistic basis

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 27 नवम्बर, 1947 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय' भाषायी प्रान्त आयोग' (Linguis- tic Provinces Commission) का गठन किया।

After independence, in view of the demand for reorganization of states on linguistic basis, Constituent Assembly Chairman Dr. Rajendra Prasad constituted a four-member 'Linguis- tic Provinces Commission' under the chairmanship of Justice S.K. Dhar on 27 November 1947.

आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

In its report presented on 10 December 1948, the commission suggested reorganization of states on the basis of administrative, geographical, financial and developmental convenience instead of language.

जवाहर लाल नेहरु, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया (JVP) की तीन सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया।

A three-member committee of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sita Ramaiya (JVP) was formed. This committee also opposed the reorganization of states on linguistic basis in its report presented on 1 April 1949.

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसम्बर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a separate state on the basis of language for Telugu speakers, Potti Sri Ramulu started a fast unto death, who died 56 days later on 15 December 1952.

फलस्वरुप प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।*

As a result, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a separate state for Telugu speakers, Andhra Pradesh. It was formed on 1 October 1953. It was the first state to be formed on linguistic basis.*

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अन्य सदस्य थे-

After the formation of a separate state for Telugu speakers, the demand for a separate state by other language speakers also intensified; for which a three-member committee headed by Justice Fazal Ali was considered in 1953-

के.एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरु) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-orga- nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This commission submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act-1956 was passed

इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7 वाँ संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के चार श्रेणी, यथा- क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of states of the original Constitution, namely A, B, C and D, were abolished and 14 states and 6 Union Territories were formed.

नये राज्यों का गठन	
राज्य	गठन वर्ष
• आन्ध्र प्रदेश *	1 अक्टूबर, 1953 ई.
• गुजरात *	1 मई, 1960 ई.
• नगालैंड	1 दिसम्बर, 1963 ई.
• हरियाणा	1 नवम्बर, 1966 ई.
• हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971 ई.
• मेघालय मणिपुर, त्रिपुरा *	21 जनवरी, 1972 ई.
• सिक्किम *	16 मई, 1975 ई.
• मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987 ई.
• गोवा	30 मई, 1987
• छत्तीसगढ़ *	1 नवम्बर, 2000
• उत्तराखण्ड *	9 नवम्बर, 2000
• झारखण्ड *	15 नवम्बर, 2000
• तेलंगाना *	2 जून, 2014

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को दो नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आये।

Under the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, two new Union Territories came into force on 31 October 2019.

26 जनवरी, 2020 से "दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली" संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश बन गये।

From 26 January 2020, "Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli" jointly became Union Territories.

इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र है।

Thus, at present there are a total of 28 states and 8 Union Territories in India.

69वें संविधान संशोधन अधि. 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' कर दिया गया।

The 69th Constitutional Amendment Act, 1991 changed the name of the Union Territory of Delhi to 'National Capital Territory of Delhi'.